जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद–एटा में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 14–02–2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशो के अनुरूप "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 14–02–2023 को आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1– जिलाधिकारी, एटा – अध्यक्ष।
2– मुख्य विकास अधिकारी, एटा – सदस्य।
3– जिला विकास अधिकारी, एटा – सदस्य।
4– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा – सदस्य।
5– जिला कृषि अधिकारी, एटा – सदस्य।
6– अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज – सदस्य सचिव।
7– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, एटा – सदस्य।
8– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, एटा – सदस्य।
9– अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, एटा – सदस्य।
10– प्रतिनिधि मै0 ऑयन एक्स्चेंज, नवी मुम्बई।
11– प्रतिनिधि असर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्रा, अलीगढ़।
12– प्रतिनिधि मैसर्स स्टूडेण्ट रिलीफ सोसाइटी, जयपुर।

श्री डी.के.सिहं अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्म के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा 29 नग नई ग्रामीण पेयजल योजनाओ के कियान्वयन हेंतु फर्म ऑयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि0 जिनमें 29 नग रेट्रोफिटिंग/गुणता प्रभावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु मैसर्स ऑयन एक्स्चेंज इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई को चयनित कर उपरोक्तानुसार ग्रामों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशनतथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये निर्देशो के अनुपालन मे मैसर्स ऑयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि0 द्वारा 5 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण

Scanned with CamScanner

खण्ड, उ0प्र0 निगम (ग्रामीण), एटा को उपलब्ध कराई गई। अधिशासी अभियन्ता द्वारा 5 नग डी0पी0आर0 की जांच कर उपयुक्त पाई गई 5 नग डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 14–02–2023 में प्रस्तुत किया गया एवं 02 नग डी.पी.आर. जो 5.00 करोड की लागत से अधिक है, को मूल रूप में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जानी है। डी0पी0आर0 विरचन हेतु दिशानिर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

1- Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical मॉडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।

2– नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर ड़िमान्ड पर किया जाये।

3– अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।

4– सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग भ्वनते 6ण5 लिया जाये।

5– वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम0एम0 रखा जाये एवं 200 एम0एम0 व्यास तक एच0डी0पी0इ0 पाइप एवं 200 एम0एम0 व्यास से अधिक हेतु डी0आई0 पाईप का प्रयोग किया जाये।

6– वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।

7– वाटर डिमान्ड की गणना हेतु 55 LPCD + 15% unaccounted water को लिया जाये।

8– ग्राम के प्रत्येक घर को गृह संयोजन दिया जाना है एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टैन्ड पोस्ट का प्रावधान किया जाये।

9– एक फायर हाइड्रेन्ट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेन्ट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।

10– पम्प हाउस का साइज 10 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 2.50 m X 3.0 m X 3.6 m एवं 12.5 बी0एच0पी0 से 40.0 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 3.0 m X 3.6 m X 3.6 m रखा जाये।

11– वाटर वर्क्स हेतु बाउन्ड्रीवाल की ऊचाई 1.20 मी0 रखी जाये एवं 3.6 मी0 चौडाई का मेन गेट एवं 1.20 मी0 चौडाई का विकेट गेट रखा जाये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में ली गई कार्यो की दर SWSMद्वारा निर्गत दरो के आधार पर ली गई है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा योजना हेतु Per Capita Costजो की रू0 8000.00 निर्धारित की गई है, के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। बैठक में समिति के समक्ष अर्ह पाई गई 20 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2052 हेतु औसतन रू0 8000 से कम है। समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइड लाईन के अनुरूप सघनता से जॉच की गई एवं जॉच में पाई गई कमियो का निराकरण कराते हुए समस्त डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत की गई है, प्रेषित समस्त डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

Scanned with CamScanner

Sr. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of RV	FHTC (House hold 2022)	Population Details 2022	Estimated Cost incl Centage (Rs. in Lakhs)	Per Capita cost Design Year 2052
1	JALESAR	Jalesher Dehat	3	1068	7473	638.91	4726
2	JALESAR	Aunera	03	655	4481	337.97	4727
3	JALESAR	Takhawan	01	655	3597	350.67	7039
4	AWAGARH	Mohanpur	02	1788	6155	562.64	6570
5	SKIT	Dhumariya	01	554	2867	224.96	5060
SUB-TOTAL (LOT-09)			**12**	**4720**	**24573**	**2115.15**	**5624**

उपरोक्तानुसार ऑयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि0 द्वारा प्रस्तुत 05 नग डी०पी०आर० में से 3 नग डी०पी०आर० की लागत रू0 5.00 करोड़ से कम है तथा 2 नग डी०पी०आर० की लागत रू0 5.00 करोड़ से अधिक है, जिला परियोजना निगरानी इकाई, एटा एवं मेसर्स ऑयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि0 द्वारा संयुक्त परीक्षण किया गया। जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट अभ्युक्ति दी गयी कि जनसंख्या कम होने, के पुरवों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण पाइप लाइन की लम्बाई अधिक होने तथा आवंटित भूमि ग्राम सभा के निकट न उपलब्ध होने के कारण प्रति व्यक्ति कार्य लागत लगभ रू0 6400.00 से अधिक आया है। प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय पत्र संख्या 36/2021/1599/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, दिनांकः 08.07.2021 के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति द्वारा रु0 5.0 करोड़ तक लागत की डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है।

अतः जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांकः 14–02–2023 में उक्त 3 नग डी0पी0आर0 की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 05 नग डी0पी0आर0 को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गय

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल
निगम (ग्रामीण), एटा।
(सदस्य सचिव)

मुख्य विकास अधिकारी, 14/2/2023
एटा
(सदस्य)

14/2/23
जिलाधिकारी
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति (अध्यक्ष) एटा

Scanned with CamScanner